

ORDER SHEET 155-2010 Rct

THECOURT - - - - -

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
17-11-16	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपी बंटी,लायक उर्फ भूरा,बलराम सिंह एवं विशाल सिंह सहित अधि0श्री हृदेश शुक्ला उप0 प्रकरण आज अंतिम तर्क हेतु नियत है। आज दिनांक को फरियादी गंधर्व व आहत मीना उप0 है। फरियादी व आहत की पहचान अधि0श्री रामेन्द्र सिंह कौरव द्वारा की गई है। इसी प्रक्रम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में उप0 हो। प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सही /— (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे0एम0एफ0सी0</p> <p>पुनश्च—</p> <p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप0 आरोपीगण सहित अधि0श्री हृदेश शुक्ला उप0 फरियादी गंधर्व एवं आहत मीना उप0 प्रकरण में मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त। इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दफ्तर की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी बंटी पर भादस की धारा 294,33 (दो शीर्ष) एवं 506 भाग दो तथा आरोपी भूरा उर्फ लायक सिंह, बलराम, एवं विशाल पर भादस की धारा 294,323,323/34 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी गंधर्व सिंह व आहत मीना ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी बंटी को भादस की धारा 294,323 दो शीर्ष एवं 506 भाग दो तथा आरोपी विशाल,बलराम, एवं भूरा उर्फ लायक सिंह को</p>	

	<p>भादस की धारा 294,323,323 / 34 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत हैं उनके जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही /— (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे0एम0एफ0सी0</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
कीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य